

दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
प्रथम अपीलिय अधिकारी ( RTI ) निदेशक (सतर्कता )  
कमरा नं० 401 वरुणालय खण्ड द्वितीय, करोल बाग,  
नई दिल्ली-110005

सं० दि०ज०बो०एफ ए ए आर टी आई/678/अपील/ 6763

दिनांक: 16.07.2015

श्री रामानन्द, \_\_\_\_\_ अपीलकर्ता

बनाम

जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) \_\_\_\_\_ प्रतिवादी

आदेश

श्री रामानन्द, पुत्र श्री हरनारायण सिंह ने श्री आर० के० सिंघल, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) के पत्र संख्या दि०ज०बो०/सतर्कता/2459/8999/15/5209 दिनांक 19-05-2015 द्वारा सूचना का अधिकार के अर्न्तगत दी गई सूचना के विरुद्ध अपील दायर की थी ।

श्री रामानन्द, अपीलकर्ता उपस्थित थे एवं श्री आर० के० सिंघल, जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं थे ।

मैंने अपीलकर्ता को सुना और रिकार्ड को देखा । अपीलकर्ता ने अपनी अपील में जयप्रकाश पर सतर्कता विभाग में चल रही कार्यवाही से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था । जन सूचना अधिकारी के उत्तर के अनुसार सतर्कता विभाग में जांच प्रगति पर है । कार्रवाई की सूचना इस समय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) h के प्रावधान के तहत नहीं दी जा सकती ।

मैं जन सूचना अधिकारी के उत्तर से सहमत हूँ ।

उपरोक्तानुसार अपील को निस्तारित किया जाता है ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री रामानन्द, पुत्र श्री हरनारायण सिंह, गांव कागनहेडी, डाकघर छावला, नई दिल्ली
2. श्री आर० के० सिंघल, जन सूचना अधिकारी ( सतर्कता)
3. अधिशासी अभियन्ता ( ई० डी० पी०) आदेश को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईड पर अपलोड करें ।



AK-2 W  
प्रोग-2

प्रथम अपीलीय अधिकारी

16/7/15